अनुदान संख्या 20 – संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 20–MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
पूरक	*Supplementary*	*1,00*		*1,00*	*5*	*–95*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	667,33,00		667,37,00	568,26,16	–99,10,84
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					88,72,82
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	45,50,00		45,51,00	36,62,75	–8,88,25
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1595.00	1305.00	1158.59	–146.41
पु.	R.	–290.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2205" कला और संस्कृति	Major Head "2205" Art and Culture				
मू.	O.	61313.00			
पू.	S.	4.00	56321.68	55439.73	–881.95
पु.	R.	–4995.32			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3545.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–3545.00			

(I) 3570.00 रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 3545.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने तथा व्यपगत न होने वाले पूल को शेष निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.3570.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.3545.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552"-"Other Expenditure – Lumpsum provision for Projects/Schemes of North Eastern Areas"- due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim and surrender of the balance funds to non-lapsable pool.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2251"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय - संस्कृति विभाग" - 257.38 लाख रु. की बचत (1125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपचार के कम दावे प्राप्त होने, ई-गवर्नेंस के लिए भारत सरकार के मुद्रणालयों से बिलों के प्राप्त न होने तथा संबंधित प्रभागों से सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत साफ्टवेयर विकास से संबंधित प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Secretariat - Department of Culture"- saving of Rs.257.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1125.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards medical treatment, non-receipt of bills from Government of India press for E-Governance and non-receipt of proposals relating to software development under the Information Technology from the respective divisions.

(खा) "अन्य कार्यालय - संस्कृति विभाग" - 179.03 लाख रु. की बचत (470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(B) "Other Offices - Department of Culture"- saving of Rs.179.03 lakhs (against the sanctioned

में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2205'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कला और संस्कृति का संवर्धन'' -

(क) ''अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान'' - 149.68 लाख रु. की बचत (7532.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने की वजह से साहित्य कला अकादमी और ललित कला अकादमी द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - 1211.09 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 8424.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के साथ निधियों की हिस्सेदारी संबंधी प्रस्तावों को तैयार न किए जाने, कला क्षेत्र प्रतिष्ठान के निर्माण कार्य को निष्पादित न किए जाने और साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''गांधी शांति पुरस्कार'' - 129.51 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अभिलेखागार - भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार'' - 129.78 लाख रु. की बचत (1110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''सार्वजनिक पुस्तकालय'' -

(क) ''राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता'' - 253.73 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''अन्य पुस्तकालयों को अनुदान'' - 202.64 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2800.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

provision of Rs.470.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2205”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Promotion of Art and Culture”-

(a) “Grants to Other Cultural Institutions”- saving of Rs.149.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7532.00 lakhs) was due to less requirement of funds by Sahitya Kala Academy and Lalit Kala Academy owing to availability of unspent balances of previous year.

(b) “Other Schemes” - saving of Rs.1211.09 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8424.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March, 2005) was due to non-processing of proposals on sharing of funds with State Governments, non-execution of construction work of Kalakshetra Foundation and also on account of non-taking up of trip of delegation to Russia under Cultural Exchange Programme.

(c) “Gandhi Peace Prize” - saving of Rs.129.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to non-awarding of Gandhi Peace Prize by Government of India.

(B) “Archives - National Archives of India”- saving of Rs.129.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1110.00 lakhs);

(C) “Public Library”-

(a) “National Library, Kolkata” - saving of Rs.253.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs);

(b) “Grants to other Libraries” - saving of Rs.202.64 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2800.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March,2005);

(ग) ''अन्य स्कीमें'' - 1517.34 लाख रु. की बचत (2550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) ''भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण'' -

(क) ''निदेशालय'' - 175.34 लाख रु. की बचत (9080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''प्राचीन स्मारकों का संरक्षण'' - 1226.49 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 12742.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन'' - 401.03 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''निर्माण कार्य'' - 297.68 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) ''संग्रहालय'' -

(क) ''विज्ञान नगर'' - 700.00 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर बजट आबंटन में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय कला संरक्षण इतिहास और संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान'' - 154.75 लाख रु. की बचत (309.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोएडा कार्यालय भवन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 222.17 लाख रु. की बचतें हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (444.36 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा

(c) "Other Schemes"- saving of Rs.1517.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2550.00 lakhs);

(D) "Archaeological Survey of India" –

(a) "Directorate" – saving of Rs.175.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9080.00 lakhs);

(b) "Conservation of Ancient Monuments" – saving of Rs.1226.49 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.12742.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs obtained in December, 2004);

(c) "Archaeological Exploration and Excavations" – saving of Rs.401.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs);

(d) "Works" – saving of Rs.297.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs); and

(E) "Museums" –

(a) "Science Cities"- saving of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs);

Savings under the above nine heads were due to cut imposed on budget allocation at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "National Museum Institute of History of Arts Conservation and Museology"- saving of Rs.154.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.309.50 lakhs) was due to non-finalisation of Noida Office building proposal and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under three heads savings of Rs.222.17 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.444.36 lakhs) utilised for augmenting the provision by

कि मुख्य शीर्ष ''2205'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''संग्रहालय - विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता'' - 179.05 लाख रु.।

(खा) ''मानवविज्ञान सर्वेक्षण - भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण'' - 265.31 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 219.68 लाख रु. था ।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2205'' - ''संग्रहालय - भारतीय संग्रहालय, कोलकाता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 734.50 लाख रु. का अधिक व्यय (875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संग्रहण के सुरक्षित भंडार की स्थापना के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने एवं सुदृढ़ किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2205" - under the following heads:-

(A) "Museums – Victoria Memorial Hall, Kolkata" – Rs.179.05 lakhs.

(B) "Anthropological Survey – Anthropological Survey of India" – Rs.265.31 lakhs. Actual excess, however, was Rs.219.68 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2205" - "Museums – Indian Museum, Kolkata" – excess of Rs.734.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.875.00 lakhs) was due to requirement of more funds for setting up of storage of reserve of collection and enhancing and strengthening of security measures.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	4550.00	4551.00	3662.75	–888.25
पू.	S.	1.00			

(I) ''कला और संस्कृति'' के अंतर्गत -

(का) ''अभिलेखागार - भवन'' - 174.50 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन के लंबित रहने की वजह से भुवनेश्वर में कार्यालय के निर्माण कार्य का निष्पादन न होने के कारण हुई।

(I) Under "Art and Culture"-

(A) "Archives – Buildings"- saving of Rs.174.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-execution of construction work of office at Bhubneshwar pending administrative approval.

(खा) ''मानवविज्ञान सर्वेक्षण - भवन'' - 673.47 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''अन्य व्यय - भवन'' - 837.71 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, धारवाड़, चंडीगढ़ और मैसूर में कार्यालय भवन के निर्माण कार्य को निष्पादित न किए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने का कारण भी हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1328.84 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और ''कला और संस्कृति'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''सार्वजनिक पुस्तकालय - भवन'' - 850.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 397.14 लाख रु. था।

(खा) ''संग्रहालय - भवन'' - 478.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 400.29 लाख रु. था।

(B) "Anthropological Survey – Buildings" – saving of Rs.673.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(C) "Other Expenditure – Buildings" – saving of Rs.837.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-execution of construction work of office building at Dharwad, Chandigarh and Mysore and also on account of less requirement of funds by Central Public Works Department.

2. The above savings were partly (Rs.1328.84 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2004 and vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under "Art and Culture" - under the following heads:-

(A) "Public Libraries – Buidings" – Rs.850.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.397.14 lakhs.

(B) "Museums – Buildings" – Rs.478.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.400.29 lakhs.